

The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam ,1964) Adaptation and Modification Order, 2002 (First Amendment) Act, 2004

Act 6 of 2004

Keyword(s): APMC, Election to Mandi Samities

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विघायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहंस्पतिवार, 05 अगस्त, 2004 ई0 श्रावण 14, 1926 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन

विधा<u>यी एवं संसदीय कार्य विभाग</u> संख्या 210/विधायी एवं संसदीय कार्य/2004 देहरादून, '05 अगस्त, 2004

अधिसूचना विविध

"मारत का सर्विधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान समा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2004 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 29-07-2004 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06, सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 06, सन् 2004)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए .

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निग्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

- (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) संक्षिपा नाम.
 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। विस्तार और प्रारम्म
 - (2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

- (3) यह तुरन्त प्रमावी होगा।
- मूल अधिनियम की 2 धारा 2 का संशोधन एवं नई धारा का जोड़ा जाना
- चत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कुष्टि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की घारा 2(ञ) के स्थान पर निम्नवत् संशोधन कर दिया जायेगा तथा तदुपरान्त एक नई घारा 2 (ठ—1) जोड़ दी जायेगी, अर्थातः—
- (क) धारा 2(अ)—"स्थानीय निकाय" का तात्पर्य उत्तरांचल में प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन गठित था स्थापित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत से हैं।
- (ख) धारा 2(ठ-1)--'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से हैं।
- भूल अधिनियम की 3. धारा 13 का संशोधन
- मूल अधिनियम की धारा 13 की उपघारा (1) के खुण्ड (एक) तथा खण्ड (आठ) के स्थान पर निम्न संस्थिय कर दिया जायेगा, अर्थात्:--
 - धारा 13 (1) मूंल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) में "जिला परिषद्", "क्षेत्र समिति" एवं "ग्राम समा" के स्थान पर क्रमशः "जिला पंचायत", "क्षेत्र पंचायत" और "ग्राम पंचायत" रख दिया जायेगा।
- मूल अधिनियम की धारा 13 (1) (आठ) का संशोधन
- धारा 13 (1) (आंड)—मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (आंड) को निम्नवत् संशोधित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—
 - (क) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 से अधिक ग्राम पंचायतें न हों, तो पांच, जिनमें से— (एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा;
 - (दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा; और
 - (तीन) एक ऐसी महिला जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो, होगी।
 - (ख) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत'20 से अधिक किन्तु 30 से अनिधक ग्राम पंचायतें म्हों, तो सात, जिनमें से--
 - (एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा;
 - (दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा;
 - (तीन) एक ऐसी महिला जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हो, होगी, और
 - (चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी।
 - (ग) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 30 से अधिक किन्तु 40 से अनिधक ग्राम पंचायतें हो, तो नौ, जिनमें से-
 - (एक) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा;
 - (दो) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का होगा:
 - ं (तीन) दो ऐसी महिलायें जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अर्थ और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हों, होंगी; और
 - (चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी।

- (घ) यदि मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत 40 से अधिक ग्राम पंचायतें हों, तो ग्यारह, जिनमें से-
 - (एक) दो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होंगे;
 - (दो) एक नागरिकों के अन्य पिछंडे वर्गों का होगा;
 - (तीन) दो ऐसी महिलायें होंगी जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की न हों:
 - (चार) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होगी; और (पांच) एक नागरिकों के अन्य पिछड़े वगाँ की महिला होगी।
- (ङ) मूल अधिनियम की घारा 13 की उपघारा (एक) के खण्ड (आठ) के प्रस्तर (ब), (म) एवं (य) में प्रयुक्त शब्द "जिला परिषद्", "क्षेत्र समिति" एवं "ग्राम समा" के स्थान पर क्रमशः "जिला पंचायत", "क्षेत्र पंचायत" और "ग्राम पंचायत" रख दिया जायेगा तथा प्रस्तर (य) में प्रयुक्त शब्द "और विधान परिषद" विलोपित समझा जायेगा।

इसी प्रकार, स्पष्टीकरण खण्ड में अंकित शब्द ''जिला परिषद्'' के स्थान पर ''जिला पंचायत'' रख दिया जायेगा।

इसके बाद निम्न खण्ड जोड़ दिया जायेगा:-

"अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि इसे खण्ड के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों (सीटो) का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालाविध की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।"

5. मूल अधिनियम की घारा 14 में धारा 14 (क) एवं घारा 14 (ख) निम्न प्रकार जोड़ दी जायेंगी, अर्थात:—

भूल अधिनियम की धारा 14 के बाद नई धाराओं का जोड़ा जाना

धारा 14 (क) —म्रष्ट आचरणः

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के माग 7 के अध्याय-1 की धारा 123 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित मण्डी समिति के निर्वाचन पर लागू होंगे।

घारा १४ (ख)–निर्वाचन अपराधः

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के माग 7 के अध्याय-3 की धारा 125, 126, 127, 127--क, 128, 129, 130, 131, 132, 132--क, 134, 134--क, 135, 135--क, और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रमावी होंगे, मानों--

- ' (क) उनमें किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन आयोजित निर्वाचन के प्रति निर्देश हों;
- (ख) धारा 127-क में उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में शब्द "मुख्य निर्वाचन ऑफिसर" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन निर्देशक" रख दिये गये हों;
- (ग) घारा 134 और 136 में शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 द्वारा या उसके अधीन" रख दिये गये हों;
- (घ) धारा 135-क में-
 - (एक) शब्द "सरकार" के स्थान पर "सरकार, परिषद् या किसी मण्डी समिति" रख दिये गये हो।
 - (दो) स्पष्टीकरण में शब्द ''इस उपघारा और घारा 20--ख'' के स्थान पर शब्द ''इस घारा'' रख दिये गये हो।

आज्ञा से, यू० सी० ध्यानी, सचिव।

No. 210/Vidhayee and Sansadiya Karya/2004 Dated Dehradun, August 05, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation & Modification Order, 2002 (First Amendment) Bill, 2004 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 06 of 2004).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on August 04, 2004.

THE UTTARANCHAL (THEUTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964) ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002 (FIRST AMENDMENT) ACT, 2004

(UTTARANCHAL ACT. No. 06 OF 2004)

For further amendment in the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation & Modification Order, 2002

An Act

IT Is HEREBY enacted in the Fifty fifth year of the Republic of India, as follows:--

Short Tille, Extent and Commencement

- (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 (First Amendment) Act, 2004.
- (2) It extends to the whole of Uttaranchal.
- (3) It shall come into force with immediate effect.

Amendment in 2. Section 2 of Principal Act and adddition of new Section

- The following amendment shall be made in Section 2(Y) of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 (Here in after referred to as Principal Act), and a new Section 2(L-1) will be added as follows:--
 - (a) Section 2 (Y) --"Local body" means Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad, Nagar Panchayat, Zila Panchayat or Gram Panchayat constituted or established under any Act for the time being in force in Uttaranchal.
 - (b) Section 2 (L-1)--"Other Backward Classes of Citizens" means other backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Uttaranchal [The Uttar Pradesh Public Service(Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994] Adaptation and Modification Order, 2001.

Amendment in Section 13 of the Principal Act The Clause (One) and (Eight) of Sub-Section (1), Section 13 of the Principal —Act shall be amended as follows, namely :--

The "Zila Parishad", "Kshetra Samiti" and "Gram Sabha" in Clause (One) of Sub-Section (1), Section 13 shall be substituted respectively by the words, "Zila Panchayat", "Kshetra Panchayat" and "Gram Panchayat".

- The Clause (8) of Sub-section (1) of Section 13 of the Principal Act shall be Amendment In amended as follows, namely:-
 - Section 13 (1) (8) of the Principal

Act

- If the market area covers not more than 20 Gram Panchayats, five, out of which-
 - One from Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
 - One from Other Backward Classes of the Citizens; and
 - (Three) One woman who does not belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes of Citizens.
- If the market area covers more than 20 but not more than 30 Gram Panchayats, seven, out of which--
 - One from Scheduled Castes or Scheduled Tribes; (One)
 - (Two) One from Other Backward Classes of the Citizens:
 - One woman who does not belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes of Citizens; and
 - (Four) One woman who belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe.
- If the market area covers more than 30 but not more than 40 Gram Panchayats, nine, out of which-
 - (One) One from Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
 - (Two) One from Other Backward Classes of the Cilizens;
 - (Three) Two women who do not belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes of Citizens; and
 - (Four) One woman who belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe.
- If the market area covers more than 40 Gram Panchayats, eleven, out of which--
 - (One) Two from Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
 - (Two) One from Other Backward Classes of the Citizens;
 - (Three) Two women who do not belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes of the Citizens;
 - (Four) One woman who belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe;
 - (Five) One woman from Backward Classes of the Citizens.
- in paras (W) to (Z) and of Clause (Eight) of Sub-section (1) of Section 13, the words "Zila Parishad", "Kshetra Samili" and "Gram Sabha" shall be respectively substituted by the words "Zila Panchayat", "Kshetra Panchayat" and "Gram Panchayat" and the term "and of the Vidhan Parishad" in para shall be deleted.

Similarly, the words "Zila Parishad" under Explanation shall be substituted by the words "Zila Panchayat" and following shall be added thereafter provided further that reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes seats under this clause shall not be applicable after the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India.

Addition of new 5. Section after. Section 14 of the Principal Act

The following Section 14 (A) and Section 14 (B) shall be added to Section 14 of the Principal Act:—

Section 14 (A)-Misconduct:

Provisions of Section 123 Chapter—1, Part—7 of the Peoples Representation Act, 1951 will be in force, with necessary modifications, for the election of Mandi Samities.

Section 14 (B)-Election Offences:

The Sections 125, 126, 127, 127-A, 128, 129, 130, 131, 132, 132-A, 134, 134-A, 135, 135-A and 136 of Chapter 3 Part-7 of the Peoples Representation Act, 1951 will be effective as if--

- (a) The directives there in regarding elections are directions for any election organized under this Act.
- (b) The words "Chief Election Officer" in of Sub Clause (One) of Clause (B) of Sub-section (2) of the Section 127 (A) have been replaced by the words "Director, Election".
- (c) In Section 134 and 136 the words, "By or under this Act" have been substituted by the words "Under or By The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002".

(d) In Section 135--A:

- (1) The word "Government" has been substituted by the words "Government, Parishad or any Mandi Samiti".
- (2) In Explanation the words "this Sub-section and Section 20-B" has been substituted by the words "This Section".

By Order,

U. C. DHYANI, Secretary.